



न्यायालय भूमि सुधार उप- समाहर्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या

111 / 2021-22

आदेश की कं०सं० एवं तिथि	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी
09/6/23	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया।</p> <p>अंचल अधिकारी पालकोट का जॉच प्रतिवेदन अब तक अप्राप्त। आवेदक को उक्त अनुमति वाद से संबंधीत कागजात एवं अपना उपस्थिति पत्र दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।</p> <p>निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आवेदक के द्वारा उक्त अनुमति वाद के संबंध में न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं एवं भूमि संबंधी कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा दाखिल अनुमति आवेदन में कोई अभिरुची नहीं है।</p> <p>अतः उक्त अनुमति वाद में अंचल अधिकारी, पालकोट से भूमि का जॉच प्रतिवेदन अप्राप्त रहने एवं आवेदक के द्वारा नोटिस तामिला के बावजूद अब तक उक्त वाद में किसी प्रकार का अभिरुची नहीं लेने के कारण उक्त अनुमति वाद को समाप्त किया जाता है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित।</p> <p> भूमि सुधार उप-समाहर्ता बसिया (गुमला)</p> <p> भूमि सुधार उप-समाहर्ता बसिया (गुमला)</p>	